भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2627

जिसका उत्तर 18 मार्च, 2021 को दिया जाना है।

27 फाल्गुन, 1942 (शक)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की कार्य पद्धति

2627. श्री टी. जी. वेंकटेश:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में नागरिकों को यूआईडीएआई (आधार) कार्य प्रदान करने का कार्य पूरा कर लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार को लोगों के नामांकन में पेश आ रही चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या लोगों में आधार नामांकन केन्द्रों के बारे में जागरूकता बहुत कम है;
(ङ) जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार क्या-क्या उपचारात्मक उपाय कर रही है;
(च) क्या सरकार ने यह नोट किया है कि अभिप्रमाणन के लिए राशन कार्ड और ड्राईविंग लाइसेंस की तुलना में आधार कार्ड को अभी केवल एक अतिरिक्त दस्तावेज माना जाता है;
(छ) इसके क्या कारण हैं और इसे समान रूप से महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) से (ड़): जी ,हाँ। आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ तथा सेवाओं की लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 एक अधिनियम है जो सुशासन, कुशल, पारदर्शी और सब्सिडी की लक्षित वितरण, लाभ और सेवाओं, ऐसे व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान संख्या (आधार संख्या) निर्दिष्ट करने के माध्यम से भारत में रहने वाले व्यक्तियों को भारत के समेकित निधि या राज्य के समेकित निधि से जिसके लिए व्यय किया जाता है, के रूप में प्रावधान करता है।

कोई भी व्यक्ति जो एक महीने या अवधि में सभी एक सौ अस्सी-दो दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए भारत में रहता है, तुरंत नामांकन या एनआरआई के लिए आवेदन की तारीख से पहले वैध भारतीय पासपोर्ट रखने से देश के भीतर नामांकन केंद्र पर वैध दस्तावेज प्रदान करने पर आधार नामांकन के लिए पात्र हैं।

28 फरवरी, 2021की स्थिति के अनुसार, लगभग 137.05 करोड़ की अनुमानित जनसंख्या (2020) के तुलना ने कुल 128.57 करोड़ आधार तैयार किए गए हैं। हालांकि, मृत्यु के कारण आधार धारकों की वास्तविक संख्या कम है। इसलिए आधार धारक व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए "लाइव आधार" की अवधारणा शुरू की गई है। अनुमान है कि लाइव आधार की संख्या 124.24 करोड़ है। देश में समग्र आधार (लाइव) संतृप्ति 90.66% है।

28 फरवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार,लगभग 56000 आधार काउंटर प्रचालनरत हैं, जिनमें राज्य रजिस्ट्रार के 26,301, बैंकों के 12188, भारतीय डाक के 10,673, सीएससी ई-गाव के 5803, यूआईडीएआई आधार सेवा केंद्रों के 506, बीएसएनएल के 457 और यूटीआईआईटीएसएल के 22 काउंटर शामिल हैं।

आधार नामांकन और अद्यतन केंद्रों का विवरण को आधिकारिक वेबसाइट https://appointments,uidai.gov.in/easearch.aspx?_AspxAutoDetectCookiesSupport=1 और एम आधार पर आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जाता है। केंद्रों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, यूआईडीएआई लगातार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से जानकारी प्रदान करता आ रहा है।

(च) : आधार संख्या एक बारह अंकों की पहचान संख्या है जो आधार धारक (स्त्री/पुरुष) को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए सक्षम बनाती है।

आधार अधिनियम, 2016 की धारा 4 (3) के अनुसार, प्रत्येक आधार संख्या धारक अपनी पहचान स्थापित करने के लिए, स्वैच्छिक रूप से प्रमाणीकरण के माध्यम से भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने आधार नंबर का उपयोग कर सकता है या ऑफ़लाइन सत्यापन या ऐसे अन्य रूप में जिन्हें अधिसूचित किया जा सकता है, इस तरह से विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 (6) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक अनुरोध निकाय, जिसके लिए अधिनियम के खंड 4 (3) के तहत एक आधार संख्या धारक द्वारा एक प्रमाणीकरण अनुरोध किया जाता है, पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों के आधार संख्या धारक को सूचित करेगा और प्रमाणीकरण से गुजरना, या मना करने में या असमर्थ होने के लिए उसे किसी भी सेवा से इनकार नहीं करेगा।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 4 (7) के अनुसार, किसी भी सेवा के प्रावधान के लिए आधार संख्या धारक का अनिवार्य प्रमाणीकरण संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार अपेक्षित होगा

(छ) : जैसा कि ऊपर दिए गए उत्तर (एफ) से स्पष्ट है, यह संबंधित केंद्रीय/राज्य सरकार के मंत्रालय/विभाग या नियामक का विशेषाधिकार है, जो भी निवासी को प्रदान की जा रही किसी विशेष सेवा, लाभ या सब्सिडी का स्वामित्व है, निवासी को उस सेवा, लाभ या सब्सिडी प्रदान करने के उद्देश्य से स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों की श्रेणी निर्धारित करें। इसके अलावा, अधिनियम निवासी को स्वतंत्रता प्रदान करता है ताकि वह अपने आधार नंबर का उपयोग स्वैच्छिक आधार पर कर सके, सिवाय एक उद्देश्य के जहां संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है।

** **